GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION WEALTH-TAX

New Delhi, the 23rd June, 2014

S.O.1576 (E) .— In exercise of the powers conferred by clause (ba) and clause (bb) of sub-section (2) of section 46 read with section 14A and section 14B of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (1st Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Wealth-tax Rules, 1957 (hereinafter referred to as the "said rules"),—
 - (i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3.Form of return of net wealth. — (1) The return of net wealth referred to in section 14 shall—

- (a) in respect of assessment year 2013-14 and earlier assessment years in the case of individuals, Hindu undivided families and companies, be in Form BA and shall be verified in the manner specified therein.
- (b) in respect of the assessment year 2014-15 and any other subsequent assessment year in the case of individuals, Hindu undivided families and companies be in Form BB and shall be verified in the manner specified therein.
- (2) Subject to the provisions of sub-rule (3), for the assessment year 2014-15 and any other subsequent assessment year, the return of net wealth referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically under digital signature.
- (3) In case of individual or Hindu undivided family to whom the provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) are not applicable, the return of net wealth referred to in sub-rule (1) may be furnished for assessment year 2014-15 in a paper form.
- (4) The return of net wealth required to be furnished in Form BB shall not be accompanied by a statement showing the computation of the tax payable on the basis of the return, or proof of the tax and interest paid, or any document or copy of any account or form of report of valuation by registered valuer required to be attached with the return of net wealth under any provisions of the Act.
- (5) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the returns in the manners specified in sub-rule (2)."
- 3. In the said rules, in Appendix, after Form BA, the following Form shall be inserted; namely:-

"FORM BB

RETURN OF NET WEALTH

[See rule 3(1)(b) of Wealth-tax Rules, 1957]

(Also see attached instructions)

Assessment Year										
			•							

art A-GI	GENERAL				
Na	me (For individual write Last Name/Sur Nam	PAN			
Fla	t/Door/Block No	lding/Village	Status (Tick)		
		☐ Individual ☐ HUF ☐ Company			
	ad/Street/Post Office	Area/locality		Date of Birth/Incorporation (DD/MM/YYYY)	
				/ /	
To	wn/City/District	State	Pin code	Sex (in case of individual) (Tick) ☑	
To				☐ Male ☐ Female	
Ph	one Number with STD code		Mobile No.	Income Tax Ward/Circle	
Em	ail Address			Whether Citizen of India (Tick) ☑	
				☐ Yes ☐ No	
Re	turn filed (Tick)[Please see instruction number-7]	☐Before due date -14(1) After due date -15	☐ Revised Return- 15	
	OR In response to notice	□ 16(4)(i)		17(1)	
	evised, then enter Receipt No and Date of filiginal return (DD/MM/YYYY)	ing	/ /	Valuation Date / / (DD/MM/YYYY)	
Is t	his your first return? (Tick) 🗹 🔲 Yo	es 🗆 No		·	
Re	sidential Status (Tick) 🗹 🔲 Resid	dent 🗆 Non-Resi	dent Resident b	ut Not Ordinarily Resident	
	nether this return is being filed by a person in	n a special case referred t	o in Chapter V? (Tick) ☑	☐ Yes ☐ No	
(a)	Name of the person				
(b)	Address of the person				
(c)	Permanent Account Number (PAN) of the	e person		(d) Applicable section	
A ==	a vou accessed to Income tay? (Tiel)		No.	_1	

art B -NW	Computation of net wealth
	•

	1	Aggregate value of immovable property (as per item no.10 of Schedule IP)	1	
	2	Aggregate value of movable property [other than jewellery, etc. referred to in S.2(ea)(iii)]	2	
		(as per item no.4 of Schedule MP)		
	3	Aggregate value of jewellery, etc. (as per item no.12 of Schedule JE)	3	
	4	Includible net wealth of other persons (as per item B of Schedule INW)	4	
Ī	5	Aggregate value of interest in assets held in a Firm/AOP as partner/member (as per item B of	5	
		Schedule IFW)		
	6	Net wealth (1+2+3+4+5)	6	

t	B -TI	Computation of tax liability on net wealth			
	1	Tax payable on net wealth	1		
	2	Interest payable on late filing of return	2		
	3	Total tax and interest payable (1+2)	3		
	4	Tax and interest paid	4		
	5	Amount payable (Enter if 3 is greater than 4, else enter 0)	5		
	6	Refund (If 4 is greater than 3, else enter 0)	6		
	7	Refund, if any, shall be deposited directly into your bank account. Please furnish following details:			
		Enter your bank account number			
		MICR Code Type of Account (tick as applicable &	7)	☐ Savings	☐ Current

Part	B -TF	•			Deta	ils of	Tax a	nd In	teres	t pai	d																
	SI No BSR Code (1) (2)					Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			Serial Number of Challan (4)			Amount (Rs)															
					(2)			(3)				(5)															
TS	i																										
TAX PAYMENTS	ii																										
TAX	iii																										
	iv																										
																	T	otal									

VERIFICATION*

I (Name in full and in Block Letters) son/daughter of holding permanent account number solemnly declare that, to the best of my knowledge and belief, the information given in this return and the schedules thereto is correct and complete, and that the net wealth and other particulars shown therein are truly stated and in accordance with the provisions of the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957) in respect of net wealth as on the valuation date chargeable to wealth-tax for the assessment year

1957), in respect of net wealth as on the valuation date chargeable to w	ealth-tax for the assessment year .
I further declare that I am making this return in my capacity as that I am competent to make this return and verify it.	(designation in case of Company/Hindu undivided family) and
Place	Sign here →
Date	

- * Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return is correct and complete in every respect. Any person making a false statement in this return shall be liable to prosecution under section 35D of the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957), and on conviction be punishable:
- (i) In a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakhs rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
- (ii) In any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine..

	chedule IP	mmovable Property[S.2(ea)(i) or S.2(ea)(v)]							
SI.No		Immovable Property 1	Immovable Property 2	Immovable Property 3					
		(i)	(ii)	(iii)					
1	Description								
2	Complete Address								
3	Survey/Plot No. of Land								
4	Value as per Schedule III								
5	Debt owed in relation to the immovable property								
6	Net amount (4-5)								
7	Name of Registered Valuer								
8	Registration Number of Valuer								
9	Date of report by Valuer								
10	Aggregate net amount of all Immovable Properties [6(i)+6(ii)+6(iii)]								

SI.No	Description	Motor Cars [S.2(ea)(ii)]	Yatch, etc [S.2(ea)(iv)]	Cash in hand [S.2(ea)(vi)]
		(A)	(B)	(C)
1	Value as per Schedule III			
2	Debts owed in relation to the asset			
3	Net Amount (1-2)			
	Aggregate net amount of all Movable Properties [3(A)+3(B)+3(C)]			

chedule JE Jewellery, etc. referred to in S.2(ea)(iii)]

SI.No	Description	Item of Jewellery, etc.	Item of Jewellery, etc.	Item of Jewellery, etc.
		(A)	(B)	(C)
1	Description of item			
2	Gross weight			
3	Net weight of precious metal			
4	Description and weight of precious or semi-precious stones			
5	Value of each precious or semi-precious stone and total value of all such stones			
6	Total value of jewellery as per Schedule III			
7	Debt owed in relation to the jewellery			
8	Net amount (6-7)			
9	Name of Registered Valuer			
10	Registration Number of Valuer			
11	Date of report by Valuer			
12	Aggregate net amount of all jewellery, etc. [8(i)+8(ii)+8(iii)]			

chedule INW	Includible net wealth of other persons

(A)	Sl.No	Name of other person	Relationship	PAN of other person	Aggregate value of all	Debt owed in relation	Net amount
					assets	to such assets	
		(a)	(b)	(c)	7.10		[(d)-(e)]
					(d)	(e)	

(B)	Total net wealth of the person											
		chedule IFA	Interest		firm or association of per	sons (AOP) as a partner	or member					

			chedule IFA		terest held i ereof:	n the assets of a firm	or association of pers	ons (AOP) as a partner	or member
(A)	Sl.No	Name(s) of Firm(s)/AOP(s) (a)	Address(es) of Firm(s)/AOP(s) (b)	PAN of Firm(s)/AOP(s) (c)	Name(s) of other Partners/ Members	Assessee's Profit Sharing Ratio(%) (e)	Value of the Assessee's interest in the assets of firm/AOP as per Schedule III	Debt owed in relation to such interest (e)	Net amount [(d)-(e)]
(B)		Total intere	est held in the	asset of a firm	or associa	tion of persons (A	OP) as a partner or n	nember thereof	

chedule ACE ssets referred to in section 2(ea) which are claimed as exempt under section 5

SI.No	Description of Assets	Value	Debt owed in relation to such asset	Reason for claiming exemption

)ther	properties	(See	Note 1)
-------	------------	------	---------

chedule OPR

To be filled up by individual or HUF only)

Properties	Cost

Α	Immo	vable	Property		
	I Ag	ricult	ural Land		
		(a)	Description		
		(b)	Complete Address		
		(c)	Survey / Plot No. of Land		
	II	Non	-agricultural Land		
		(a)	Description		
		(b)	Complete Address		
		(c)	Survey / Plot No. of Land		
	III	Com	mercial Building		
		(a)	Description		
		(b)	Complete Address		
		(c)	Survey / Plot No. of Land		
	IV	Resi	dential Building		
		(a)	Description		
		(b)	Complete Address		
		(c)	Survey / Plot No. of Land		
	Mova	ble Pr	operty		
В					
	I			(FDRs, Term Deposits and all other types of	
			osits including saving accounts), with Fi panies and Cooperative societies.	nancial Institutions, Non Banking Financial	
	П	Amo	ount of investment in Bonds. Debenture	es/shares and units in companies/Mutual	
	-	Fund		is, shares and annes in companies, matau	
	III			gs, Insurance Policies and investment in any	
			ncial Instrument in Post office or Insura		
	IV		ll amount of loans/advance given to and t etc. and other receivables from debto	y person or entity including firm, Company, rs.	
	V	Any	other property including value of Claim	s/interest etc.	
Total	value :	at cos	t of other properties		
Total	nabilit	y in re	elation to other properties		

Net amount of other properties	

Note:- 1. OPR: All properties other than (i) assets referred to in section 2(ea) and liable for wealth tax; (ii) assets claimed as exempt under section 5; (iii) assets excluded under section 6; or (iv) assets being part of business or profession which is subject to audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)."

[Notification No.32/2014, F.No.143/1/2014-TPL]

(J. Saravanan) Under Secretary, TPL

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification number S.O. 3384(E), dated the 18th October, 1957 and last amended by Wealth-tax (Second Amendment) Rules, vide Notification S.O. Number 470 (E) dated the 13th February 2009.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

> अधिसूचना धन कर

> > नई दिल्ली, तारीख 23 जून, 2014

का0आ0 1576.(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14क और धारा 14ख के साथ पठित, धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (खक) और खंड (खख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, धन कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन कर (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. धन कर नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) में,--
- (i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "3. शूद्ध धन की विवरणी का प्ररूप- (1) धारा 14 में निर्दिष्ट शूद्ध धन की विवरणी-
- (क) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2013-14 और पूर्वतर निर्धारण वर्षों की बाबत प्ररूप खक में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।
- (ख) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों और कंपनियों की दशा में, निर्धारण वर्ष 2014-15 और किसी अन्य पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत प्ररूप खख में होगी और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित की जाएगी।
- (2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण वर्ष 2014-15 और उसके पश्चात् किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दी जाएगी।
- (3) ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उपनियम (1) में निर्दिष्ट धन कर की विवरणी निर्धारण वर्ष

- (4) प्ररूप खख में दिए जाने के लिए अपेक्षित धन कर की विवरणी के साथ विवरणी के आधार पर संदेय कर की संगणना दर्शाने वाला विवरण या संदत्त कर और ब्याज का सब्त या कोई दस्तावेज या किसी लेखा की प्रति या अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धन कर के विवरण के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन की रिपोर्ट का प्ररूप नहीं होगा ।
- (5) आय कर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों का सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी दिए जाने से संबंधित समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी भी होगा।"
- 3. उक्त नियमों के परिशिष्ट में, प्ररूप खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

	"प्रर	रूप ख	ख				3]	धन कर	नियम		7 का ी			(ख)]]					f	नेर्धारण 	वर्ष 	
भाग क	जीईए	न	,	साधारण																			
	नाम	(व्यष्टि के	लिए ३	अंतिम ना	म/उपन	ाम, पहल	ग्रा नाम,	मध्य नाम	न, अन्	तेम नाम	ा लिखें))								स्थायी लेखा सं0			
	फ्लैट	/दरवाजा/	ब्लाक र	ਜਂ0					परिस	पर/भवन	/ग्राम व	ठा नाम								प्रास्थिति (चिह्नित	-		
																				□ व्यष्टि □ हिन्दू		• •	
व्यक्तिगत जानकारी	सड़व	ह∕गली/डा	क घर						क्षेत्र/	अवस्थान	न									जन्म/निगमन की ता (व्यष्टि की दशा मे /)	ोख/मास/व	र्ष)
तेगत	नगर,	/शहर/जित	ना						राज्य	Г				पिन व	कोड	5				लिंग (व्यष्टि की दश	ग में) (चि।	हेनत करें)	Ø
व्यवि																				🗆 पुरूष	□ मि	हेला	
			Ų	ुस0टी0र्ड	ो० को ब	उ सहित	फोन नं0							मोबाइ	इल न	io	l		1	आय-कर वार्ड/ सर्कि	ਕ		
					\top				T											-			
	ई मेत	ल पता								.1				I			1			क्या भारतीय निवासी लगाएं) ☑ □ हां □	ो हैं (सही नहीं	का निशान	ī
				की गई या सूच					ा अनुदे	श सं0	7 देखि	ए]□ 1		त तार्र 17 (से पूर्व	-14	(1)	□F	ायत तारीख के पश्चात्	[-15] पुनरीक्षित	Γ
माइल करने की प्रास्थिति		यदि पुन	रीक्षित	है तो रर करें (तार्र	मीद सं0	और मू			- न करने	की		1	1	/		/		1		त्तन की तारीख रीख/मास/वर्ष)	/	/	
₽		क्या यह	आपर्क	। पहली वि	विवरणी	है ? <i>(f</i>	वेह्नित व				🗌 नर्ह	Ť									/	/	
करने				थिति (नेवासी			अनिवार						•		ग तौर पर निवासी नर्ह	i		
फाइल				गि अध्याय या निम्ना				गा में कि	सी व्या	क्त द्वारा	ा फाइट	न की जा	रई	ो है ?	(चि	हिनत	करें)	✓		हां ा नहीं			
		(ক)		का नाम																			
		(ख)	व्यक्ति	न का पत	τ																		

1	(ग)	व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्या (पैन)								(घ) लागू खंड
	क्या आ	नका आय कर निर्धारित किया गया है ? 🗹	□ हां	नही	Ť	ı	I	ı		
ļ										

भाग ख

भाग ख	-एनडब्ल्यू शुद्ध धन की संगणना		
1	स्थावर संपत्ति का संकलित मूल्य (अनुसूची आईपी की मद संख्या 10 के अनुसार)	1	
2	जंगम संपत्ति का संकलित मूल्य [धारा 2 (डक) (iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि से भिन्न] (अनुसूची एमपी की मद संख्या 4 के	2	
	अनुसार)		
3	आभूषण आदि का संकलित मूल्य (अनुसूची जेई की मद संख्या 12 के अनुसार)	3	
4	अन्य व्यक्तियों का सम्मिलित किए जाने योग्य शुद्ध धन (अनुसूची आईएनडब्ल्यू की मद संख्या बी के अनुसार)	4	
5	फर्म/भागीदार/सदस्य के रूप में एओपी में धारित आस्तियों में ब्याज का संकलित मूल्य (अनुसूची आईएफडब्ल्यू की मद संख्या बी	5	
	के अनुसार)		
6	शुद्ध धन (1+2+3+4+5)	6	

भाग ख -	ी एनडब्ल्यू शुद्ध धन पर कर दायित्व की संगणना		
1	शुद्ध धन पर संदेय कर	1	
2	विवरणी के विलंब से फाइल किए जाने पर ब्याज	2	
3	संदेय कुल कर और ब्याज (1+2)	3	
4	संदत्त कर और ब्याज	4	
5	संदेय रकम (यदि 4 से 3 अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथ 0 प्रविष्ट करें)	5	
6	प्रतिदाय (यदि 3 से 4 अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	6	
7	प्रतिदाय, यदि कोई है तो प्रत्यक्षतः आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा । कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :		
	अपनी बैंक खाता संख्या		
	एमआईसीआर कोड	लगाए	एं) 🗹 🛘 बचत 📗 चालू

भाग	ख-टीप	पी						रि ब्या																	
	क्र.सं			बी	एसअ	आर कोड जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) चालान की क्रम संख्या रकम (रुपए में)																			
	(1) (2)						(3)									(4)				(5)					
संदाय	i																								
कर स	ii																								
ਹ	iii																								
	iv																								
																				कुल					

सत्यापन*	
में,	चेयों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान शेष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और शुद्ध धन की
में यह और घोषणा करता हूं कि में की हैसियत (कंपनी/हिन्दू अविभक्त और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं ।.	कुटुंब की दशा में पदनाम) में यह विवरणी दे रहा/रही हूं
स्था न	

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें 🛨

*सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी हर तरह से सही और पूर्ण है। इस विवरणी में मिथ्या कथन करने वाला कोई भी व्यक्ति धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 35घ के अधीन अभियोजन के दायित्वाधीन होगा और दोषसिद्ध होने पर :

- (i) उस दशा में, जब ईप्सित कर वंचन एक लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ;
- (ii) किसी अन्य दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

अनुसूर्च	गी आईपी स्थावर सं	पत्ति [धारा 2(डक)	(i) या धारा 2 (डक)(v)]		
क्र.सं.			स्थावर संपत्ति 1	स्थावर संपत्ति 2	स्थावर संपत्ति 3
			(i)	(ii)	(iii)
1	विवरण				
2	पूरा पता				
3	भूमि का सर्वे/प्लाट सं0				
4	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य				
5	स्थावर संपत्ति से संबंधित देय ऋण				
6	शुद्ध रकम (4-5)				
7	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम				
8	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
9	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख				
10	सभी स्थावर संपत्तियों की संकलित शुद्ध	रकम			
	[6(i) + 6(ii) + 6(iii)]				

अनुसूच	ी एमपी जंगम संपत्ति [धारा 2	(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि	सं भिन्न]	
क्र.सं.	विवरण	मोटर कार [धारा 2(ङक)(ii)] (ए)	नौका, आदि [धारा 2(डक)(iv)] (बी)	नकदी [धारा 2(डक)(vi)] (सी)
1	अनुसूची 3 के अनुसार मूल्य			
2	आस्ति से संबंधित देय ऋण			
3	शुद्ध रकम (1-2)			
4	सभी जंगम संपत्तियों की संकलित शुद्ध			
	रकम [3(ए) + 3(बी) + 3(सी)]			

अनुसूर्च	ो जेई जंगम संपत्ति [धारा 2	(डक)(iii) में निर्दिष्ट आभूषण, आदि]		
क्र.सं.	विवरण	आभूषण आदि की मद	आभूषण आदि की मद	आभूषण आदि की
		(y)	(बी)	मद (सी)
1	मद का विवरण			
2	सकल भार			
3	बहुमूल्य धातु का शुद्ध भार			
4	बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्नों का विवरण			
	और भार			
5	प्रत्येक बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न का			
	मूल्य और ऐसे सभी रत्नों का कुल मूल्य			
6	अनुसूची 3 के अनुसार आभूषण का कुल			
	मूल्य			
7	आभूषण से संबंधित देय ऋण			
8	शुद्ध रकम (6-7)			
9	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम			
10	मूल्यांकक की रजिस्ट्रीकरण संख्या			
11	मूल्यांकक द्वारा रिपोर्ट की तारीख			
12	सभी आभूषण आदि की संकलित शुद्ध रकम			
	[8(i) +8 (ii) +8 (iii)]			

(ক)	क्र0सं.	व्यक्ति का नाम	संबंध	अन्य व्यक्ति का	सभी आस्तियों का	ऐसी आस्तियों	शुद्ध रकम
		(ক)	(ख)	स्थायी लेखा संख्यांक	संकलित मूल्य	के संबंध में	[(ঘ)-(ঙ্গ)]
				(ম)	(ঘ)	देय ऋण	
						(ভ)	
(ख)				व्यक्ति का कुल शुद्ध धन			

अनुसू	ची आईए	फए		किसी फर्म या व्यक्ति धारित हित :	त्तयों के संगम (एओपी) का, भागीदार	या उसके सदस्य	के रूप में आस्ति	तयों में
(ক)	क्र.सं.	फर्म/फर्मों/एओपी के नाम (क)	फर्म/फर्मॉं/एओपी का पता (ख)	फर्म/फर्मों/एओपी का स्थायी लेखा संख्यांक (ग)	अन्य भागीदारों/सदस्यों के नाम (घ)	निर्धारिती की लाभ हिस्सेदारी का अनुपात (%) (ड)	अनुसूची 3 के अनुसार फर्म/एओपी की आस्तियों में निर्धारिती के हित का मूल्य (घ)	ऐसे हित के संबंध में देय ऋण (ड)	शुद्ध रकम [(घ)-(ङ)]
(ख)	किसी प	कर्म या व्यक्तियों के सं	गम (एओपी) का, भ	ागीदार या उसके सदः	स्य के रूप में आस्तियं	ों में धारित कुल ी	हेत		

अनुसूची एसीई			धारा 2(डक) में निर्दिष्ट वे आस्तियां जिनका धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा किया गया है		
क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्य	ऐसी आस्तियों के संबंध में देय ऋण	छूट का दावा करने का कारण	

नुसूची ओपीउ	भार	(केवल व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब द्वारा भरे जाने के लिए)				
		·	संपत्तियां		लागत	
स्थावर	संपत्ति					
I	कृषि भू	मे				
	(ক)	विवरण				
	(ख)	पूरा पता				
	(ম)	भूमि का सर्वे/प्लाट	सं0			
II	गैर कृषि	ा भूमि				
	(ক)	विवरण				
	(ख)	पूरा पता				
	(ग)	भूमि का सर्वे/प्लाट	सं0			
III	वाणिज्य	ाक भवन				
	(ক)	विवरण				
	(ख)	पूरा पता				
	(ग)	भूमि का सर्वे/प्लाट	सं0			
IV	आवासी	य भवन				
	(ক)	विवरण				

		(ख)	पूरा पता	
		(ম)	भूमि का सर्वे/प्लाट सं0	
ख	जंगम संपी	त्ते		
	I		ाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और कोआपरेटिव सोसाइटियों सहित बैंक खातों (एफडीआर, सावधि न्य सभी प्रकार के जमा, जिसके अंतर्गत बचत खाते भी हैं) में जमा कुल रकम ।	
	II	बांड, डिबेंचर	/शेयर और कंपनियों में यूनिट/म्युचुअल फंड में विनिधान की रकम ।	
	III	एनएसएस, उ की रकम ।	अक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखत में विनिधान	
	IV		ं व्यक्ति या अस्तित्व, जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया अग्रिम और ऋणियों तेयों की कुल रकम	
	V	कोई अन्य र	पत्ति जिसके अंतर्गत दावों/ब्याज आदि का मूल्य भी है ।	
अन्य र	संपत्तियों की	लागत पर कु	ल मूल्य	
		संबंध में कुल	दायित्व	
अन्य	संपत्तियों की	शुद्ध रकम		

टिप्पण- 1. ओपीआर: (i) धारा 2(डक) में निर्दिष्ट आस्तियां और धन कर के दायित्वाधीन; (ii) धारा 5 के अधीन छूट के रूप में दावा की गई आस्तियां; (iii) धारा 6 के अधीन अपवर्जित आस्तियां; या (iv) कारबार या वृत्ति का भाग होने के कारण आस्तियां जो आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन है, से भिन्न सभी संपत्तियां।"

[अधिसूचना सं.32/2014 फा.सं. 143/1/2014-टीपीएल]

(जे. सरवनन) अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3384(अ) तारीख 18 **अक्टूबर**, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. स[ं]470 .(अ) तारीख 13/02/2009 द्वारा किया गया ।